बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक:- 525831/6 /पटना, दिनांक:- 25/02/2026

ग्रा०वि०-15 BIPARD (बजट)-01/2025

प्रेषक,

मन्जु प्रसाद,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय:- **बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) राज्य स्कीम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में सहायक अनुदान मद में उपबंधित अवशेष राशि 5650.50 लाख (छप्पन करोड़ पचास लाख पचास हजार) रूपये के आवंटन के संबंध में।**

प्रसंग:- **विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०- 5255046 दिनांक- 25.02.2026**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) अंतर्गत विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रशिक्षित किये जाने, स्किल पार्क, नवनिर्मित परिसर के सौन्दर्यीकरण एवं सुसज्जिकरण हेतु विभिन्न तरह के लाईटों, विकसित भारत लैब के अधिष्ठापन एवं अन्य आवश्यक उपस्कर आदि के क्रय किये जाने हेतु सहायक अनुदान के रूप में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०- 5255046 दिनांक- 25.02.2026 द्वारा कुल <u>5650.50 लाख</u> (छप्पन करोड़ पचास लाख पचास हजार) रूपये के विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. विषयांकित योजना बजट शीर्ष-2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-003-प्रशिक्षण, उप शीर्ष-0101-बिहार ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान विपत्र कोड 42-2515000030101 विषय शीर्ष-3104 सहायक अनुदान वेतन, 3105 सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों का निर्माण एवं 3106-सहायक अनुदान गैर वेतन के अन्तर्गत बजट उपबंधित राशि में से क्रमशः 100.50 लाख (एक करोड़ पचास हजार) रूपये, 670.00 लाख (छः करोड़ सत्तर लाख) रूपये एवं 2680.00 लाख (छब्बीस करोड़ अस्सी लाख) रूपये अर्थात कुल <u>3450.50 लाख</u> (चौतीस करोड़ पचास लाख पचास हजार) रूपये एवं पुनरीक्षित बजट उपबंध <u>2200.00 लाख</u> (बाईस करोड़) रूपये अर्थात कुल <u>5650.50 लाख</u> (छप्पन करोड़ पचास लाख पचास हजार) रूपये मात्र महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पटना, बाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना को आवंटित किया जाता है। आवंटित राशि से संबंधित विवरणी निम्नवत् है (रू0 लाख में) :-

विपत्र कोड- 42-2515000030101								
क्र. सं.	विषय शीर्ष	बजट उपबंध	आवंटित राशि	आवंटन के पश्चात शेष राशि	द्वितीय अनुपूरक	वर्तमान में स्वीकृत राशि	स्वीकृत राशि के पश्चात बजट उपबंध में शेष राशि	अभ्युक्ति
1	3104 (वेतन)	150.00	49.50	100.50	0.00	100.50	00	
2	3105 (परिसम्पत्तियों का निर्माण)	1000.00	330.00	670.00	200.00	870.00	00	
3	3106(गैर वेतन)	4000.00	1320.00	2680.00	2000.00	4680.00	00	
कुल		**5150.00**	**1699.50**	**3450.50**	**2200.00**	**5650.50**	**00**	

3. उक्त सहायक अनुदान राशि का विकलन योजना बजट शीर्ष-2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-003-प्रशिक्षण, उप शीर्ष-0101-बिहार ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान विपत्र कोड 42-2515000030101 विषय शीर्ष-3104 सहायक अनुदान वेतन, 3105 सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों का निर्माण एवं 3106-सहायक अनुदान गैर वेतन के अन्तर्गत होगा।

4. ग्रामीण विकास विभाग के मांग संख्या-42 के अन्तर्गत अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किये गये है ।

5. आवंटित राशि की निकासी अवर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से बी0टी0सी0-42 प्रपत्र में की जायेगी ।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवंटित राशि की निकासी सी0एफ0एम0एस0 के माध्यय से बिपार्ड के खाता सं0-50100823512760, HDFC Bank, Jagdish Ray Complex, Punaichak Sabji Mandi, Patna, IFSC Code-HDFC0005076 में बिपार्ड से पूर्व प्राप्ति रसीद प्राप्त कर की जायेगी। आवंटित राशि से अधिक या गलत निकासी की सारी जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. स्वीकृत/आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में सोसाईटी (बिपार्ड) द्वारा महालेखाकार, बिहार, पटना को निश्चित रूप से भेजा जायेगा।

8. बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) के लेखा के अंकेक्षण करने का अधिकार महालेखाकार, बिहार/वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को होगा ।

9. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355 वि0 (2) दिनांक-05.10.2007 के आलोक में उक्त राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है तथा स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन के क्रम में बिहार वित्त नियमावली/बिहार कोषागार संहिता/बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश एवं वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 वि0 (2) दिनांक-17.04.1998/वित्त विभाग के पत्र संख्या-227 दिनांक-28.03.2025 तथा समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों का अक्षरशः एवं दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

25.2.26

(मन्जु प्रसाद)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 525/316 पटना, दिनांक:- 25/02/2026

प्रतिलिपि:- दिनांक-20.02.2026 को मंत्रिपरिषद्, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना द्वारा संपन्न बैठक के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित ।

25.2.26

सरकार के अपर सचिव

C:\Users\HP\Desktop\Section-15\Report-Sec-15 (2026)\BIPARD- आवंटनादेश\आवेदन सं0 542507.doc-01

- (

ज्ञापांक 5258316 पटना, दिनांक 25/02/2026

प्रतिलिपिः- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25.2.26

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 5258316 पटना, दिनांक 25/02/2026

प्रतिलिपिः- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25.2.26

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 5258316 पटना, दिनांक 25/02/2026

प्रतिलिपिः- महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, बाल्मी परिसर, फुलवारी शरीफ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10)/विभागीय लेखा शाखा (दो प्रतियों में)/प्रशाखा-15 एवं आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25.2.26

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 5258316 पटना, दिनांक 25/02/2026

प्रतिलिपिः- माननीय मंत्री के आप्त सचिव एवं सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

25.2.26

सरकार के अपर सचिव